

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 1390 / 2020

तारीख रजु 24.12.2020

उनवान

कैलाश पुत्र स्व० श्री रमेश वर्ग० जाति खटीक निवासी क्यारदाकलां तहसील हिण्डौन
जिला करौली (राज०)

—वादीगण 02

बनाम

कन्हैया पुत्र पांच्या वर्ग० जाति खटीक निवासी क्यारदाकलां तहसील हिण्डौन जिला
करौली

—प्रतिवादीगण 03

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- युसुफ अली एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 19.01.2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थित ग्राम क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन का दावा बावत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा 1390 / 2020 कैलाश वर्ग० बनाम कन्हैया वर्ग० नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


19.01.2021
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

